

ALLOTMENT OF
FLATS THROUGH
LUCKY DRAW

PRIME BHS FLATS

from

YAMUNA EXPRESSWAY AUTHORITY

Invest Wisely for Future with YEIDA

MULTI STORIED B.H.S FLATS

प्रथम आवत
प्रथम पावत
के आधार पर

Scheme open on 02.08.2023

Open Ended Scheme

योजना का विवरण : बिल्टअप भवन योजना के अन्तर्गत सैक्टर-22डी में (Ready to Move)

बहुमंजिला भवनों का आवंटन “प्रथम आवत प्रथम पावत” के आधार पर किया जायेगा।

योजना का नाम : ओपन एण्डेड योजना

योजना कोड : बीएचएस-09/2023

रेरा पंजीकरण संख्या : UPRERAPRJ8947 (GH-06)

योजना प्रारम्भ की तिथि : 02.08.2023

ए भवनो का विवरण

क्रम सं०	प्रॉपर्टी कोड	योजना का विवरण	फ्लैट का प्रकार	यूनिट एरिया (बाह्य दीवार एवं बालकनी के साथ)	कारपेट एरिया	फ्लैटों की संख्या	सैक्टर का नाम	भवनों का मूल्य (रु०. लाख में) (अनुमानित)	पंजीकरण राशि (रु०. लाख में)
1.	01	एस+16	2 बी.एच.के	99.86 वर्गमीटर (1074.88 वर्गफीट)	64.72 वर्गमीटर (696.64 वर्गफीट)	462	22 डी	42.34 लाख	4.23 लाख

- टिप्पणी- प्राधिकरण बिना कारण बताये अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुये फ्लैटों की संख्या में वृद्धि या कमी कर सकता है।

ए1 भवनों के आवंटन की नियम एवं शर्तें

बिक्री मूल्य-:

- 1.1. भवनों के आवंटन/झूके समय जो भी आवंटन/भवन की प्रचलित दर/कीमत होगी उसी दर से भवन की कीमत देय होगी।
- 1.2. ब्रोशर में दी गयी कीमत/लागत अस्थायी है और फ्लैट्स का कब्जा प्राप्त करते समय परिवर्तित हो सकती है। यह परिवर्तन फ्लैट्स के निर्माण और विकास या प्राधिकरण, अदालत या राज्य सरकार द्वारा भूमि मुआवजा/अधिग्रहण राशि/अनुग्रह राशि में किसी भी प्रकार की वृद्धि के कारण हो सकता है। पट्टेदार/आवंटी को प्राधिकरण द्वारा पट्टा विलेख के निष्पादन से पूर्व इस प्रकार की किसी भी वृद्धि का भुगतान करने संबंधित सहमति और अनुपातिक साझेदारी का वादा करना होगा।
- 1.3. किसी भी न्यायालय में आवंटी द्वारा वाद योजित करने संबंधी देयको का वहन आवंटी द्वारा स्वयं किया जायेगा।
- 1.4. यदि सेवा कर की कोई देयता है तो उसे आवंटी को वहन करना होगा।
- 1.5. ऊपर उल्लिखित फ्लैट्स सेक्टर-22डी में होंगे। विवरणिका के साथ फ्लैट्स के डिजाईन और मानचित्र उपलब्ध हैं। उपलब्ध डिजाईन और मानचित्र में फिटिंग और फिक्सचर का भी वर्णन है।

ए2 अन्य अनिवार्य शुल्क जिनका भुगतान निम्नानुसार देय होगा :-

नोट: यह शुल्क केवल फ्लैट्स के मूल बिक्री मूल्य से ऊपर हैं और उल्लिखित भवनो के तलवार (Floor Wise) लागू होंगे।

- प्रथम एवं द्वितीय तल के लिये रु० 100/-प्रति वर्गफीट
- तृतीय एवं चतुर्थ तल के लिये रु० 75/-प्रति वर्गफीट
- पंचम एवं षष्ठम तल के लिये रु० 50/-प्रति वर्गफीट
- षष्ठम से ऊपर के फ्लैट्स पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं

ए3 कार पार्किंग

काम्प्लेक्स के भीतर कवर क्षेत्र (स्टिक्ट) में कार पार्किंग हेतु रिक्त स्थान सीमित है। आवेदक को यह जानकारी दी जाती है कि वह आवेदन फॉर्म भरते समय यह सुनिश्चित कर ले कि वह कार पार्किंग लेने के इच्छुक हैं तो उनके द्वारा आवेदन फार्म में कार पार्किंग का कॉलम भरना आवश्यक है।

यदि आवेदक द्वारा आवेदन फार्म में कार पार्किंग का कॉलम रिक्त होगा तो भविष्य में पृथक से आवेदन ग्राह्य नहीं होगा।

- आवेदक केवल एक कार के स्थान के लिए ही आवेदन कर सकते हैं, एक से अधिक आवेदन अनुमन्य नहीं होगा। कार पार्किंग हेतु आवंटन ड्र के माध्यम से किया जायेगा।
- ड्र में स्टिल्ट कार पार्किंग आवंटित होने की दशा में रुपये 1 लाख पार्किंग की दर से देय होगा।
- आवंटित कार पार्किंग स्थान की कीमत/लागत का भुगतान लीज डीड के समय में जमा करना होगा।

बी- निर्धारित आरक्षित श्रेणियाँ :

क्रम सं०	आरक्षित श्रेणी	आरक्षण का प्रतिशत
1.	कृषक, जिनकी भूमि यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण या जेवर एयरपोर्ट हेतु अधिग्रहित/क्य की गयी है।	17.5 प्रतिशत

नोट :

1. कृषक जिनकी भूमि अधिग्रहित की गयी है, उसमें 21% एवं 2% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को भी बहुमंजिला फ्लैट में आरक्षण मिलेगा।
2. दिव्यांगों के लिये निःशक्त जन अधिनियम 1995 की धारा 43 के क्रम में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कुल 3 प्रतिशत क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण आरक्षित श्रेणियों तथा अनारक्षित श्रेणी (सामान्य) के लिए अनुमान्य होगा।
3. प्राधिकरण द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि निःशक्तजन आवेदकों के लिए आरक्षित होगी। यह आरक्षण कुल प्रकाशित भूखण्ड/भवन की 4 प्रतिशत भाग पर लागू होगा। इस श्रेणी के बीच आवंटन ड्र के माध्यम से किया जायेगा और इस ड्र में 1 प्रतिशत आरक्षण (4 प्रतिशत में से) नेत्रहीन आवेदकों के लिए रखा जायेगा।
4. उक्त श्रेणियों के विकलांग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी, अन्यथा उन्हें आरक्षण का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।
5. यदि ड्र के समय किसी भी आरक्षित श्रेणी के फ्लैटों की संख्या प्राप्त आवेदन से कम पाई जाती है तो बचे हुए फ्लैट को सामान्य श्रेणी में हस्तान्तरित कर दिए जायेंगे।

ग्राह्यता

बी-1 सामान्य श्रेणी

1. आवेदक भारतीय नागरिक हो तथा अनुबंध के लिए सक्षम हो तथा उसने योजना प्रारम्भ होने की तिथि तक वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो।
2. इस श्रेणी में आवेदक अथवा उसके पत्नी/पति के नाम, अथवा आश्रित बच्चों के नाम में पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से कोई भी आवासीय भूखण्ड/भवन अथवा फ्री-होल्ड आधार पर अथवा एच.पी.टी.ए. (हायर पर्चेज टेनेंसी एग्रीमेन्ट) लाइसेंस के तहत यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किसी पूर्व योजना में आवंटित न किया गया हो। तो आवेदन/आवंटन निरस्त करते हुये उनके द्वारा जमा की गयी पंजीयन राशि प्राधिकरण के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
3. आवेदक उनके पति/पत्नी अथवा आश्रित योजना के अन्तर्गत केवल एक ही फ्लैट हेतु आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि आवेदनकर्ता द्वारा उनके पति/पत्नी अथवा आश्रित योजना के अन्तर्गत एक से अधिक आवेदन/आवंटन है तो आवेदन/आवंटन निरस्त करते हुये उनके द्वारा जमा की गयी पंजीयन राशि प्राधिकरण के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

बी-2 विहित आरक्षित श्रेणी की पात्रता:-

1. आवेदक भारतीय नागरिक हो तथा अनुबंध के लिए सक्षम हो तथा उसने योजना प्रारम्भ होने की तिथि तक वयस्कता की आयु प्राप्त कर ली हो।
2. केवल ऐसे आवेदक आवेदन हेतु पात्र होंगे जिनको आवासीय भूखण्ड/फ्लैट प्राधिकरण की किसी भी पूर्व योजना में प्राधिकरण द्वारा आवंटित न किया गया हो।

3. आवेदक उनके पति/पत्नी अथवा आश्रित योजना के अन्तर्गत केवल एक ही फ्लैट हेतु आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि आवेदनकर्ता द्वारा उनके पति/पत्नी अथवा आश्रित योजना के अन्तर्गत एक से अधिक आवेदन/आवंटन है तो आवेदन/आवंटन निरस्त करते हुये उनके द्वारा जमा की गयी पंजीयन राशि प्राधिकरण के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

बी-3 पात्र कृषक जिनकी भूमि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत/क्रय की गयी हो या जेवर एयरपोर्ट परियोजना हेतु अधिगृहीत / क्रय की गयी हो। इस श्रेणी के अंतर्गत विस्तृत पात्रता शर्तें तथा आवंटन प्रक्रिया का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

1. ऐसे कृषक आवेदन के लिए पात्र होंगे जिनकी भूमि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत/क्रय की गयी हो या जेवर एयरपोर्ट परियोजना हेतु अधिगृहीत / क्रय की गयी हो तथा उस पर प्राधिकरण द्वारा निर्विवाद व अतिक्रमण मुक्त कब्जा प्राप्त कर लिया गया हो। (ब्रोशर में दिए गए प्रपत्र के अनुसार इस आशय का शपथ-पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अड्डटेकिंग-1 के अनुरूप जमा करना होगा।)
2. यदि भूस्वामी अथवा उसके पति/पत्नी/आश्रित बच्चों को प्राधिकरण की किसी योजना में पूर्व में ही फ्लैट/भूखण्ड आवंटित हुआ है तो वह इस आरक्षण योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
3. आवेदक उनके पति/पत्नी अथवा आश्रित योजना के अन्तर्गत केवल एक ही फ्लैट हेतु आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि आवेदनकर्ता द्वारा उनके पति/पत्नी अथवा आश्रित योजना के अन्तर्गत एक से अधिक आवेदन/आवंटन है तो आवेदन/आवंटन निरस्त करते हुये उनके द्वारा जमा की गयी पंजीयन राशि प्राधिकरण के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।
4. कृषक श्रेणी के अंतर्गत, सफल आवेदक/आवंटी आवंटित बहु मंजिला फ्लैट्स को आवंटन तिथि के पांच साल बाद हस्तानात्रित कर सकते हैं।
5. अधिग्रहित भूमि के अलावा यमुना प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित/क्रय की गयी भूमि पर या अन्य किसी और भूमि जिसके आवंटन के लिए इस योजना में आवेदन पत्र निकल गया हो आवेदक द्वारा अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर अड्डटेकिंग-2 के अनुरूप जमा करना होगा जो ब्रोशर में संलग्न है।
6. आवेदक द्वारा सम्पूर्ण प्रतिकर बिना किसी आपत्ति के करार/सहमति के आधार पर प्राप्त कर लिया गया हो। आवेदक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत फार्म-11 सी की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जानी होगी।
7. अगर, सत्यापन पर या किसी भी स्तर में यह पाया गया कि ऊपर उल्लिखित शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन हुआ है तो आवेदन पत्र को खारिज कर दिया जायेगा और पंजीकरण का पैसा वापस कर दिया जायेगा।

सी. आवंटन की प्रक्रिया

1. आवासीय भवनों का आवंटन "प्रथम आवत प्रथम पावत" आधार पर किया जायेगा। अर्थात् जिस आवेदक का आवेदन पूर्ण रूप से भर पहले जमा किया जायेगा उनका आवंटन पहले किया जायेगा। आवेदको के मध्य भवन संख्या/तल का आवंटन झू के माध्यम से किया जायेगा।
2. **Built up Housing (Flat) Scheme BHS-09/2023** में योजना के प्रारम्भ होने के पश्चात आगामी माह की प्रथम तिथि से माह की अन्तिम तिथि के मध्य जो भी आवेदन प्राप्त होंगे उन आवेदनों की जाँच आगामी 15 दिनों में करते हुए पात्र पाये गये आवेदको के मध्य झू किया जायेगा। झू में भवन संख्या के आवंटन के साथ सफल आवेदको की सूची प्राधिकरण की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com पर अपलोड कर दी जायेगी। उपरोक्त प्रक्रिया योजना समाप्त होने तक अपनाई जायेगी।
3. यदि झू के समय आरक्षित श्रेणी के फ्लैटों की संख्या प्राप्त आवेदनों से कम पायी गयी तो बचे हुए आवेदको को सामान्य श्रेणी में सम्मिलित कर लिया जायेगा।
4. झू के उपरान्त रिक्त भवनों की सूचना प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

डी. आवेदन कैसे करें

आवेदन फार्म प्राप्त करने हेतु प्राधिकरण की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से रु0-500/- +18 प्रतिशत जी.एस.टी का भुगतान ऑनलाईन करते हुए प्राप्त किया जा सकता है। तदपश्चात आवेदन फार्म में वॉछित सूचनाओं को पूर्णतः भरते हुये नियमानुसार पंजीयन धनराशि (Online Mode Only) का भुगतान कर ऑनलाईन जमा कराना होगा।

ई. भुगतान योजना

ई-1 ब्याज सहित पाँच वर्षीय किश्त योजना

- इस योजना में, प्रॉपर्टी कोड में दिये गये फ्लैटों की निर्धारित कुल धनराशि की 30 प्रतिशत धनराशि (पंजीयन राशि समायोजन के उपरान्त) आवंटन तिथि से 60 दिन के अन्दर आवंटन राशि के रूप में देय होगी। शेष 70 प्रतिशत धनराशि दस छःमाही बराबर (10 प्रतिशत ब्याज सहित रिड्यूसिंग प्रिन्सीपल अमाउन्ट प्रत्येक छः माही तत्समय प्रभारी ब्याज दर) किश्तों में देय होगा। किश्तों पर लगे ब्याज की गणना आवंटन तिथि के 61वें दिन से की जायेगी।

Note:- the interest rate will be revised on every 1st January and 1st July of each year as instructed in G.O. No. 1567/77-4-20-36N/20 Dated 09 June 2020.)

नोट:-

- इस प्रपत्र के संदर्भ में आवंटन पत्र जारी होने की तिथि को ही आवंटन तिथि माना जायेगा। यदि आवंटन द्वारा योजना में आवेदन करने हेतु बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण लिया जाता है तो प्राधिकरण द्वारा आवंटन सम्बन्धी सूचना बैंक को प्रेषित की जायेगी, आवंटन पत्र आवेदक को प्राप्त कराने की जिम्मेदारी आवंटन की स्वयं होगी। आवंटन संबंधित बैंक से संपर्क कर आवंटन पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
- छ: माही किस्तों का भुगतान निर्धारित समय में नहीं किये जाने की दशा में डिफाल्ट अवधि के लिए 3 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज (अर्थात् 13: अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि) दण्ड स्वरूप देय होगा।
- प्राधिकरण द्वारा आवंटन के पक्ष में लीज डीड निष्पादन की तिथि (Deemed)को ही कब्जा प्राप्त करने की तिथि माना जायेगा।

एफ. भुगतान विधि :

1. सभी भुगतान प्राधिकरण को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में **online payment gateway/ डिमाण्ड ड्राफ्ट/ पे-आर्डर जो नोएड/ ग्रेटर नोएड पर दे हों**, के रूप में किये जा सकते हैं। इस कार्य के लिये आवंटन पत्र में वर्णित अधिकृत बैंक शाखाओं द्वारा भुगतान सीधे स्वीकार किये जायेगे। **The payments can be made online on authority's payment gateway portal or through RTGS/NEFT.**
2. आवंटन धनराशि हेतु सामान्यतः समय विस्तरण अनुमन्य नहीं होगा। यदि आवंटन द्वारा देय आवंटन राशि का भुगतान निर्धारित तिथि तक नहीं किया जाता है तो विलम्ब अवधि के लिए समय विस्तरण विशेष परिस्थितियों के तहत मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा ही अधिकतम 60 दिन के लिए इस शर्त के साथ अनुमन्य किया जायेगा कि समय विस्तरण की दशा में 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज बकाया धनराशि पर डिफाल्ट किये गये समय के लिये देय होगा।
3. आवंटन/पट्टाधारक द्वारा जमा कि गयी धनराशि सर्वप्रथम देय ब्याज में समायोजित कि जायेगी तदोपरांत शेष धनराशि किस्तों व देय लीज रेंट में समायोजित कि जायेगी।
4. आवंटन पत्र जारी होने के 60 दिन के अन्दर पूर्ण भुगतान/एक मुश्त धनराशि जमा कराने की स्थिति में आवंटन को भवन की कुल धनराशि पर 2 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। तत्पश्चात यदि आवंटन द्वारा एक मुश्त भुगतान का विकल्प ग्रहित किया जाता है तो शेष धनराशि पर ब्याज नहीं लिया जायेगा। इसके लिये आवंटन को एक मुश्त भुगतान से पूर्व प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा भुगतान के बाद प्राधिकरण को भुगतान के साक्ष्य (UTR No. of NEFT/RTGS and copy of Bank Challan Etc.) उपलब्ध कराना होगा।

जी क्षेत्रफल

- आवंटित फ्लैट का क्षेत्रफल कब्जा दिये जाते समय कुछ भिन्न हो सकता है। ऐसी दशा में फ्लैट का कुल मूल्य उसी अनुपात में परिवर्तित होगा। यदि अन्तर 10 प्रतिशत तक है तब भवन की स्थिति में परिवर्तन या समर्पण की अनुमति नहीं होगी। यदि अन्तर 10 प्रतिशत से अधिक है तो आवंटन को आवंटन समर्पित करने की छूट होगी तथा ऐसी दशा में जमा की गयी समस्त धनराशि साधारण ब्याज दर जो तत्समय एस.बी.आई. के बचत खाते पर देय हो के आधार पर वापस कर दी जायेगी।

एच. जैसे है जहाँ है' के आधार पर :

क्रेता द्वारा फ्लैट जैसे है जहाँ है के आधार पर 90 वर्ष के पट्टे पर जिनकी अवधि पट्टा प्रलेख की निर्धारित तिथि से प्रारम्भ कर स्वीकार किये जायेगे।

आई. असफल आवेदक

उन आवेदकों की पंजीयन राशि, जिन्हें फ्लैट आवंटित नहीं हो सके हैं और यदि राशि एक वर्ष से कम अवधि के लिए प्राधिकरण के पास जमा रही है वह राशि बिना ब्याज के लौटायी जायेगी यदि जमा राशि की अवधि एक वर्ष से अधिक है तो उस एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए **Prevailing simple interest rate of saving A/c in SBI** दर से जमा धनराशि पर ब्याज दिया जायेगा।

जे. समर्पण :

1. ड्रा/आवंटन से पूर्व समर्पण की स्थिती में जमा सम्पूर्ण पंजीयन राशि बिना ब्याज लौटा दी जायेगी ।
2. ड्रा/आवंटन के उपरान्त 30 दिन के भितर आवंटन समर्पण करने पर पंजीयन राशि का 10 प्रतिशत भाग जब्त कर लिया जाएगा और शेष राशि बिना ब्याज लौटा दी जायेगी ।
3. ड्रा/आवंटन के पश्चात 30 दिन के पश्चात किन्तु 45 दिन के भीतर आवंटन समर्पण करने पर पंजीयन राशि का 50 प्रतिशत धनराशि प्राधिकरण हित में जब्त कर ली जायेगी तथा शेष धनराशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी । इसके लिए प्राधिकरण द्वारा पृथक से कोई सूचना प्रेषित नहीं की जायेगी ।
4. ड्रा/आवंटन के पश्चात 45 दिन के बाद परन्तु आवंटन के 6 महीने से पहले समर्पण करता है तो फ्लैट की कुल कीमत की 10 प्रतिशत राशि की कटौती की जायेगी, शेष राशि बिना ब्याज ले लौटा दी जायेगी । इसके लिए प्राधिकरण द्वारा पृथक से सूचित नहीं किया जायेगा ।
5. ड्रा/आवंटन से छः माह के बाद आवंटन समर्पण करने की दशा में आवंटी द्वारा जमा की सम्पूर्ण धनराशि प्राधिकरण द्वारा जब्त कर दी जायेगी ।
6. यदि आवंटी निर्धारित समय मे देय राशि जमा करने में असफल रहता है तो आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और इस प्रकार से निरस्त किये गये फ्लैट के लिये निरस्तीकरण की तारीख तक जमा राशि को जब्त कर लिया जायेगा ।

नोट :- यदि आवंटी उपरोक्त समर्पण क्लॉज में दिये गये समय के पश्चात अपना समर्पण प्रत्यावेदन प्राधिकरण में प्रस्तुत करता है तो वह मान्य नहीं होगा। समर्पण के प्रकरणों में समर्पण की तिथि वह मानी जायेगी जिस दिन समर्पण पत्र प्राधिकरण कार्यालय में प्राप्त होगा। डाक प्रमाण पत्र के आधार पर कोई पूर्ववर्ती दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवंटी को समर्पण पत्र के साथ मूल पंजीयन पावती संलग्न कर प्रस्तुत करनी होगी।

के. निरस्तीकरण :

निरस्तीकरण के अन्य उल्लिखित प्रस्तरों के अतिरिक्त, प्राधिकरण/पट्टादाता, अधोलिखित स्थितियों में पट्टा प्रलेख/आवंटन को निरस्त करने हेतु अपने अधिकारों का उपयोग करने में स्वतंत्र होगा।

1. गलत विवरण अथवा वस्तुपरक तथ्यों को छिपाते हुए आवंटन प्राप्त करने पर ।
2. प्राधिकरण अथवा अन्य विधिक निकाय द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें अथवा उसके द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन करने पर।
3. आवेदक/आवंटी/पट्टाधारक द्वारा पंजीकरण/आवंटन/पट्टे की नियम/ब्रोशर के नियम एवं शर्तों के तोड़ने/उल्लंघन करने और/ अथवा आवंटन राशि जमा न करने पर ।
4. तीन लगातार किश्तो ना देने पर यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को आवंटन निरस्त करने का अधिकार रहेगा ।
उपरोक्त के उप प्रस्तर (1, 2 व 3) के अंतर्गत, निरस्तीकरण की दशा में, निरस्तीकरण की तिथि तक जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी और फ्लैट मय ढांचे के प्राधिकरण/पट्टादाता द्वारा कब्जे में ले ली जायेगी, और आवंटी/पट्टाधारक को इसकी प्रतिपूर्ति मांगने का कोई अधिकार नहीं होगा।

एल. पट्टा अवधि एवं पट्टा किराया

फ्लैट का आवंटन प्रत्येक आवंटी को 90 वर्ष के पट्टे पर दिया जाएगा और पट्टा किराया लीज डीड निष्पादन से पूर्व फ्लैट के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत एकमुश्त देय होगा।

एम. पट्टा अनुबंध का निष्पादन

अधिसूचना संख्या-3066/11.05.2009-500(100)/2008 दिनांक-12.6.2009 में वर्णित प्राविधान के अन्तर्गत आवंटी को आवंटन के 6 माह के भीतर पट्टा अनुबंध निष्पादित करा कर सबरजिस्ट्रार गौतमबुद्धनगर कार्यालय में निबंधित करना होगा अन्यथा लीज डीड के निष्पादन के समय उन्हें सर्किल दर पर स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। अधिसूचना की प्रति प्राधिकरण की वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

एन. पट्टा दस्तावेज तथा कब्जे का निष्पादन

आवंटी को कब्जा लेने की सूचना प्रेषित करने के 180 दिन के भीतर कानूनी दस्तावेज/पट्टा प्रलेख (लीज डीड का निष्पादन एवं पंजीकरण) निष्पादित कराना अनिवार्य होगा। यदि आवंटी भवन की लीज डीड का निष्पादन निर्धारित तिथि से 180 दिन के अन्दर कराने में असफल पाया जाता है तो लीज डीड निष्पादन हेतु दो वर्ष का समय विस्तरण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य किया जायेगा कि प्रथम वर्ष हेतु भवन के कुल प्रीमियम का 1 प्रतिशत विस्तरण शुल्क का भुगतान करने के पश्चात द्वितीय वर्ष हेतु भवन के कुल प्रीमियम का 2 प्रतिशत विस्तरण शुल्क त्रैमासिक समानुपातिक रूप से आवंटी/अंतरिकी से लिया जायेगा। इस विस्तारित समय के बाद भी यदि आवंटी कानूनी दस्तावेज के निष्पादन में असमर्थ रहता है तो आवंटन निरस्त किये जाने तथा जमा राशि जब्त किये जाने संबंधी कार्यवाही की जायेगी।

नोट :- प्रलेखन के प्रयोजन के लिए पट्टा विलेख के निष्पादन की तारीख कब्जे का पदभार संभालने की तिथि के रूप में गिना जायेगा।

ओ. दस्तावेजी प्रभार

कानूनी दस्तावेज तैयार करने, उस पर टिकट लगाने तथा उसे पंजीकृत कराने संबंधी समस्त शुल्क और उसकी प्रतियां बनवाने तथा उससे संबंधित समस्त आकस्मिक खर्चों का वहन आवंटी को ही करना होगा। आवंटी को अचल सम्पत्ति के हस्तांतरण के संबंध में स्टाम्प ड्यूटी, जो इसके लिए अधिकृत किसी भी सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाई जायेगी अथवा कोई अन्य शुल्क अथवा प्रभार का भुगतान भी करना होगा।

पी. गिरवी रखना :

1. आवंटी/पट्टाधारक, प्राधिकरण/पट्टादाता की पूर्व सहमति लेकर भूखण्ड/फ्लैट की लीज डीड निष्पादन/पंजीकरण के पश्चात किसी भी बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण आहरण हेतु फ्लैट गिरवी रख सकता है और पट्टादाता द्वारा ऐसी अभिस्वीकृति देते समय लगायी गयी नियम व शर्तों आवंटी को मान्य होंगी व उनका अनुपालन करना होगा। इसके साथ ही रेहन/गिरवी रखी सम्पत्ति के विक्रय अथवा मोचन निषेध होने पर, पट्टादाता को अधिकार होगा कि भूखण्ड/फ्लैट की अनर्जित बढ़ी कीमत 50 प्रतिशत का वो प्रतिशत जो पट्टादाता द्वारा निर्धारित की जाती है, को प्रथम धारक के रूप में वसूल लें व अन्य रेहन अधिकारों से प्राथमिक अधिकार होगा। भूखण्ड/फ्लैट के बाजार मूल्य निर्धारण में पट्टादाता का निर्णय अन्तिम होगा व सभी संबंधित पक्ष को बाध्य होगा, इसके साथ ही पट्टादाता को रेहन/गिरवी रखी सम्पत्ति से पूर्व वर्णित अनर्जित बढ़ेत्तरी को उस प्रतिशत को कम कर पूर्वकय का अधिकार होगा। पट्टादाता यहां वर्णित अनर्जित बढ़ेत्तरी व सम्पत्ति के पूर्वकय का अधिकार अनच्छित विक्रय एवं हस्तांतरण के समय भी बराबर से मान्य होंगे चाहे वह न्यायालय/दिवालियेपन की आज्ञाप्ति के अनुपालन के साथ अथवा द्वारा हों।
2. आवंटी को फ्लैट में किसी तकनीकी परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी।
3. परिवर्तन की दशा में खामी होने पर प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। पूर्ण नुकसान की वसूली आवंटी से की जायेगी।
4. मॉर्गेज की स्थिति में प्रथम अधिकार प्राधिकरण का रहेगा। यदि प्राधिकरण की देयता अवशेष रहती है तो विवाद की स्थिति में प्रथम भुगतान प्राधिकरण के पक्ष में देय होगा तथा प्राधिकरण को वित्तीय लेनदार (Financial Creditor) माना जायेगा।

क्यू. फ्लैट का हस्तांतरण :

क्यू-1 कानूनी उत्तराधिकारी:

- अपने (महिला/पुरुष) कानूनी उत्तराधिकारी को बहुमंजिला फ्लैट के हस्तान्तरण की अनुमति मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों के पूर्ण होने पर दी जायेगी।

क्यू-2 कानूनी उत्तराधिकारी के अतिरिक्त

कानूनी उत्तराधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य को बहुमंजिला फ्लैट के हस्तान्तरण की अनुमति मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा दी जा सकेगी। बहुमंजिला फ्लैट के इस प्रकार के हस्तान्तरण के लिए आवंटी को निर्धारित हस्तान्तरण शुल्क देना होगा तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निर्धारित सभी कानूनी शर्तों को पूरा करना होगा। इस संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को ऐसी अभ्यर्थना स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का पूरा अधिकार होगा।

आर. दुरुपयोग, अतिरिक्त निर्माण, परिवर्तन इत्यादि :

फ्लैट का प्रयोग आवासीय के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा। आवंटी को फ्लैट उपविभाजित करने अथवा किसी अन्य फ्लैट के साथ मिलाने अथवा उस पर कोई अतिरिक्त ढांचा खड़ा करने अथवा उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अधिकार नहीं होगा। उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर आवंटी निरस्त कर दिया जायेगा और फ्लैट का कब्जा प्राधिकरण द्वारा वापस ले लिया जाएगा।

एस. करों के भुगतान का दायित्व :

आवंटी/पट्टाधिकारी को फ्लैट के आवंटन के संबंध में इस आशय के लिए प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा लगाये गये प्रत्येक विवरण का कर निर्धारण, करों तथा प्रभारों की सभी दरों का भुगतान स्वयं कराना होगा भले ही वे प्रभार फ्लैट अथवा उस पर निर्मित किसी भवन के संबंध में लगाये गये हों।

टी. भूगर्भ सम्पत्तियों के नियमन हेतु :

प्राधिकरण के आवासीय परिसर के अन्तर्गत और उसके बाहर सभी खानों, कोयला, खनिजों, प्रक्षोलन, स्वर्ण, मिट्टी का तेल, खदानों पर अधिकार होगा और इस संबंध में उस समय कोई भी कार्य करने का पूर्ण अधिकार एवं स्वामित्व प्राधिकरण के पास सुरक्षित है और ऐसा कोई ठोस काम करने का भी प्राधिकरण को अधिकार होगा जो इस कार्य हेतु किसी चीज की तलाश करने, उसे प्राप्त करने और वहां से हटाने के लिए वे आवश्यक समझेंगे। आवासीय बहुमंजिला फ्लैट के तल पर किसी वर्टिकल सपोर्ट अथवा उस पर कुछ समय के लिए निर्मित किसी भी बहुमंजिलीय फ्लैट के संबंध में उक्त कार्यवाही करने का उन्हें पूर्ण अधिकार होगा।

किन्तु इसके लिए प्राधिकरण इस आशय के अधिकारों का प्रयोग करते समय उससे उत्पन्न सभी प्रकार की क्षतियों का भुगतान प्रत्यक्ष रूप से आवंटी/पट्टाधिकारी को करेगा। समुचित क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करने के लिए मुख्य कार्यपालक अधिकारी का निर्णय अन्तिम माना जायेगा और यह निर्णय आवंटी/पट्टाधिकारी को भी मान्य होगा।

यू. अनुरक्षण

1. यह प्रस्तावित है कि काम्प्लेक्स का कब्जा दिये जाने की तिथि से दो वर्ष तक रख रखाव का कार्य प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा और उसके बाद काम्प्लेक्स के रख रखाव का काम आवंटियों द्वारा गठित रेजीडेंट वेलफेयर सोसाइटी (RWA) द्वारा किया जायेगा। इसके बाद यह अनिवार्य होगा कि सोसाइटी (RWA) का गठन करें और काम्प्लेक्स की मरम्मत और रख रखाव के द्वारा हमेशा इसे अच्छा और रहने योग्य स्थान बनाये रखना सुनिश्चित करें। सभी आवंटियों को रेजीडेंट वेलफेयर सोसाइटी (RWA) का सदस्य बनना अनिवार्य है।
2. पहले दो वर्ष काम्प्लेक्स को साफ सुथरा और रहने योग्य बनाये रखने के लिए आवंटियों को 2 बी.एच.के. के लिये रुपये 1.50 लाख रख रखाव (Maintenance Charge) के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा खोले और अनुरक्षित किये "कोष" में जमा करने होंगे। आवंटियों पर यह शुल्क पट्टा विलेख के निष्पादन से पूर्व देय होगा, जिसकी सूचना आवंटियों को प्राधिकरण द्वारा पट्टा विलेख किये जाने हेतु जारी चेकलिस्टके माध्यम से दी जायेगी।
3. योजना के प्रथम व्यक्ति को अधिकार सौंपने के दो वर्षों के बाद फ्लैटों का रख रखाव रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा ही वहन किया जायेगा तथा रख-रखाव पर होने वाले खर्च को RWA अपने श्रोतों से वहन करेगी।
4. यदि किसी कारणवश RWA का गठन नहीं किया जाता तो ऐसी स्थिति में काम्प्लेक्स के रख रखाव का काम आवंटियों से Maintenance Charge लेकर प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा तथा प्राधिकरण मासिक आधार पर निर्धारित शुल्क लगाने के लिए स्वतंत्र होगी।
5. प्राधिकरण द्वारा काम्प्लेक्स/परिसर में वाणिज्यिक/नर्सरी स्कूल के लिए/सामुदायिक केंद्र के लिए/एक छोटे खेल के मैदान के लिए स्थान उपलब्ध है एवं निवासियों की सुरक्षा हेतु परिसर की चारदीवारी और एक गार्डरूम है।
6. प्राधिकरण अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करके सभी नियमों और शर्तों के साथ सामुदायिक केंद्र को खरीदने, उसके प्रबंधन और सभी सुविधाओं के संचालन का कार्य किसी बाहरी एजेंसी को हस्तान्तरित कर सकता है। आवंटी को प्राधिकरण द्वारा समय समय पर लगाये जाने वाले अपेक्षित प्रभार/शुल्क भुगतान के बाद यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह कम्युनिटी सेंटर के नियमों व शर्तों के अधीन सभी सुविधाओं का उपयोग कर सकता है।
7. पट्टाधारक /RWA समूचे परिसर तथा भवन को हर समय बेहतर हालत में रखेगा और प्राधिकरण के संतुष्टी के अनुरूप बेहतर सफाई आदि की व्यवस्था करेगा। आवंटी फ्लैट तथा उसके परिवेश एवं सभी उपलब्ध सुविधाओं को साफ-सुथरा तथा अच्छी स्थिति में रखेगा।
8. आवंटी को प्राधिकरण अथवा उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 के अनुच्छेद 8, 9 और 10 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत सभी विनियमों, उप नियमों, निर्देशों तथा मार्गनिर्देशों का पालन करना होगा। प्राधिकरण की नियम व शर्तों का अनुपालन न होने पर, प्राधिकरण को अधिकार होगा कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नियमानुसार जो दण्डनिर्धारित किया जाएगा, वह दण्डमान्य होगा।
9. पट्टाधारक ऐसे पोस्टरों, संविधि व अन्य वस्तु का प्रदर्शन नहीं करेगा जो नैतिकता के प्रतिकूल अथवा अनैतिक एवं अशिष्ट हो।
10. पट्टादाता द्वारा ऐसी विशिष्ट अनुमोदित स्थलों अथवा निर्माण की गयी दुकान के सतह को छोड़कर पट्टाधारक दुकान के दीवार के बाहरी सतह पर कोई विज्ञापन अथवा प्लेकार्डका प्रदर्शन नहीं करेगा।
11. समुचित अनुरक्षण एवं सुरक्षा हेतु ब्लाक/सेक्टर समूह के आवंटियों को आर.डब्ल्यू.ए./एन.एम.सी. गठित करनी होगी।
12. फ्लैट्स में अग्नि सुरक्षा और काम्प्लेक्स में वर्षा के जल के संग्रहण का प्रावधान कर दिया गया है।

वी. अन्य अनुच्छेद

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा कि उसके द्वारा न्यायसंगत तथा उचित समझे जाने पर समय-समय पर आवंटन की शर्तों में कोई परिवर्तन या संशोधन का निर्णय ले सके।
2. इन नियम व शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण अथवा उसकी व्याख्या करने के संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा और आवेदकों के लिए बाध्य होगा।
3. यदि प्राधिकरण निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत आवंटित बहुमंजिलीय फ्लैट पर कब्जा प्रदान करने में असमर्थ होता है तो सम्पूर्ण पंजीयन राशि अथवा अन्य जमा राशि (Penal Interest) छोड़कर व डिफाल्ट धनराशि की कटौती उपरान्त जो आवंटन की स्थिति पर निर्भर करेगी, 4 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज सहित लौटा दी जायेगी। रिफण्ड/सरेण्डर के प्रकरणों में रजिस्ट्रेशन धनराशि पर ब्याज की गणना आवेदन की अंतिम तिथि से होगी एवं समर्पण रिफण्ड आवेदन तिथि तक ही ब्याज देय होगा।
4. सभी विवादों का आवंटन/पट्टे के संबंध में किसी भी विवाद के लिए न्याय का क्षेत्राधिकार संबंधित जिला न्यायालय, जहां सम्पत्ति स्थित है, अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नामित न्यायालय का होगा।

5. आवंटी पर उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम सन् 1976 (यू.पी. एक्ट नं. 6, 1976) के प्राविधान तथा उसके तहत गठित नियम/विनियम लागू माने जायेंगे।
6. फ्लैटका स्वामित्व पति/पत्नी द्वारा संयुक्त रूप से भी अनुमन्य है।
7. प्राधिकरण को अदेय सभी धनराशि, एरिया ऑफ लैण्डरेवेन्यू की तरह वसूल की जायेगी।
8. मात्र पंजीयन धनराशि जमा कर देने से ही कोई आवेदन फ्लैटके आवंटन का हकदार नहीं होगा।
9. यदि जमा पंजीकरण राशि विवरणिका में उल्लिखित पंजीयन राशि की तुलना में कम होती है, तो आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:

मैनेजर प्रॉपर्टी –बी.एच.एस

9555692229, 7011915879, 7080510925

कस्टमर केयर नं.: 18001808296 (YEIDA)

बैंकिंग पार्टनर- बैंक ऑफ बड़ौदा: 9354942031

ई-मेल: bhs@yamunaexpresswayauthority.com

प्रतिभूपत्र-1
Undertaking - I
अन्डरटेकिंग-1

मैं पुत्र श्री ग्राम का निवासी हूँ तथा ग्राम
..... के खाता संख्या खसरा संख्या में मेरा भाग
क्षेत्रफल था जिसका अर्जन सुनियोजित विकास हेतु यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया
है।

यह कि उपरोक्त भूमि खाता संख्या खसरा संख्या
क्षेत्रफल स्थित ग्राम की भू अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4
(1)/17 की अधिसूचना दिनांक को धारा 6/17 की अधिसूचना दिनांक
..... को जारी होकर कब्जा दिनांक को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित
हुआ है।

यह कि मेरे द्वारा अधिग्रहित भूमि का समस्त प्रतिकर बिना किसी आपत्ति के करार/सहमति के आधार पर प्राप्त कर लिया गया है। यह कि मेरे
द्वारा प्राधिकरण के साथ अथवा सह खातेदारों के साथ कोई विवाद न्यायालय में लंबित नहीं है।

आवेदक के हस्ताक्षर

- प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण प्राधिकरण रिकार्ड/जानकारी में सच व सही है।

प्रतिभूपत्र-2

मैं पुत्र श्री ग्राम का निवासी हूँ तथा
ग्राम के खाता संख्या खसरा संख्या में मेरा
..... भाग क्षेत्रफल था जिसका अर्जन सुनियोजित विकास हेतु यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा
किया गया है।

यह कि उपरोक्त भूमि खाता संख्या खसरा संख्या
क्षेत्रफल स्थित ग्राम की भू अर्जन अधिनियम 1894 की धारा 4
(1)/17 की अधिसूचना दिनांक को धारा 6/17 की अधिसूचना दिनांक
..... को जारी होकर कब्जा दिनांक को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित
हुआ है।

यह कि मेरे द्वारा अधिग्रहित भूमि का समस्त प्रतिकर बिना किसी आपत्ति के करार/सहमति के आधार पर प्राप्त कर लिया गया है। यह कि मेरे
द्वारा प्राधिकरण के साथ अथवा सह खातेदारों के साथ कोई विवाद न्यायालय में लंबित नहीं है।

आवेदक के हस्ताक्षर

- प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दिया गया उपरोक्त विवरण प्राधिकरण रिकार्ड/जानकारी में सच व सही है।

SPECIFICATIONS - 2 BHK

Sr.	Description	2 BHK (S+16)
1.	Structure RCC Framed	Stilt Parking with 16 Floor RCC Framed
2.	Walls	Bricks
3.	Floor <input type="checkbox"/> Common Area <input type="checkbox"/> Stairs	Vitrified Tiles Kota Kota
4.	Wall Tiles	Coloured
5.	Counter Top	Granite Stone
6.	Door Window <input type="checkbox"/> Door <input type="checkbox"/> Windows	MS 'L' with Flush Shutter UPVC UPVC
7.	Finishes <input type="checkbox"/> External <input type="checkbox"/> Internal	Plaster with Grit Finish Plaster with OBD
8.	Electrical <input type="checkbox"/> Conduits <input type="checkbox"/> Wiring <input type="checkbox"/> Switches	PVC Multi-Stranded CU-FR Modular/Piano Type
9.	Sanitary <input type="checkbox"/> Chinaware <input type="checkbox"/> Water Supply <input type="checkbox"/> Drainage <input type="checkbox"/> Fittings	White-Cera, Parryware, Hindware CPVC/GI CI/PVC CP
10.	External Development <input type="checkbox"/> Road <input type="checkbox"/> Paving <input type="checkbox"/> Parking	Up to 4.5 M Interlocking Blocks Tiles 4.5M to 6.0M Concrete Roads/Tiles Interlocking Concrete Blocks/Tiles Interlocking Concrete Blocks/Tiles

SPECIFICATIONS FOR AFFORDABLE HOUSE

The works shall be executed as per CPWD/MOST specification. Mainly the following specifications are proposed

1.	Base Concrete	1:4:8 (1 Cement: 4 Coarse Sand: 8 Stone Ballast)
2.	Brick work in Foundation and Plinth	1:6(1 Cement: 6 Coarse Sand)
3.	Floor to Floor Height	2.90 M
4.	Brick work in superstructure	1:6(1 Cement: 6 Coarse Sand)
5.	Half Brick Thick Wall	1:4(1 Cement: 4 Coarse Sand)
6	Lintel, Beam and Slab	R.C.C. as per Design
7.	Plaster	1:6(1 Cement: 6 Coarse Sand)
8.	Flooring (Rooms)	Vitrified Tile
9.	Toilet/Kitchen Flooring	Ceramic Glazed Tile
10.	Common Area and Staircase	Kota Stone
11.	Roof Treatment	Brick Coba
12.	Door/Windows Frame	M.S. Iron Section
13.	Railing Stair Cases	M.S. Railing as per Design
14.	Door Shutter	30 mm thick flush door shutters (only outer 2 doors)
15.	Windows Shutter	M.S. Section
16.	Fittings	M.S. Oxidized Iron Fitting
17.	Interior Finishing	White wash on walls, enamel paint on door/window
18.	Exterior Finishing	Grit Wash
19.	Water Supply	G.I. Pipe/CPVC
20.	Sanitary Pipes	CI/PVC
21.	W.C. Seat	Orissa Pattern W.C. Pan
22.	Rain Water Pipe	PVC Pipe
23.	Parapet Wall	Brick Work
24.	Electrification	PVC conduit, MS Junction Boxes Fan Box & Wiring etc.

Salient Features:

- x Ample green surroundings with landscape. Heat reflective roof paint for reflecting the solar radiation back to the atmosphere.
- x Rainwater harvesting system.
- x Installation of low flow water fixture.
- x Sewage treatment plant.
- x Use of good quality single glazing unit glass having better thermal property.
- x Smoking free common area.
- x Designed the dwelling units to achieve maximum day light.



2 BHK Dwelling Unit Plan



Yamuna Expressway Industrial Development Authority (U.P. Government Undertaking)

1st Floor, Commercial Complex, Block - P-02, Sector Omega-1, Greater Noida - 201315, Distt. Gautam Budh Nagar, U.P.
Toll Free No.: 18001808296; Website: www.yamunaexpresswayauthority.com